

(156)

(30)

लग्ज ५३११/२०१८/सत्ता/भूमि

न्यायालय श्री मानु सदस्य महोदय राजस्व मण्डल गवालियर सर्किट

कोटि रीवा मध्य०

निगरानी प्रकरण क्रमांक



हनुमान प्रसाद शुक्ला उपर वर्ष तथा स्व० श्यामलेराम शुक्ला

पेशा लेनी, निवासी ग्राम किठहा, तहसील विरसिंहपुर, जिला

सत्ता मध्य० ----- आवेदक/निगराकार

वनाम

1- मागवत प्रसाद शुक्ला पिता स्व० रामाधार शुक्ला

निवासी ग्राम किठहा, तहसील विरसिंहपुर, जिला सत्ता

2- जान प्रसाद पाण्डेय पिता स्व० रुद्र प्रसाद पाण्डेय

3- केवार प्रसाद पाण्डेय पिता स्व० रामेश्वर प्रसाद पाण्डेय

4- विधाधर पाण्डेय पिता स्व० रामेश्वर प्रसाद पाण्डेय सभी

सभी निवासीगण ग्राम किठहा, तहसील विरसिंहपुर, जिला

सत्ता मध्य० ----- गैरनिगराकारगण

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर

आयुक्तमहोदय रीवा सुनाग रीवा के

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 847/ अपील/16-17

मैपारिष आदेशदिनांक 12-7-18

निगरानी बन्तर्गत धारा 50 मध्य० मूरजस्व

संहिताचन 1959ई०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत हैः-

1- यहकि आज्ञा अधीनस्थ न्यायालय विधि एवम प्रक्रिया के

*M.**टृत्यार्थ*

३०

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

करण क्रमांक... ४५४२ | २०१८ | अ.४..... जिला—ग्वालियर

विरुद्ध..... भाग (ब) प्रस्तुति  
हनुमान प्रसाद

(1)

(2)

(3)

।८-।-१९

- आवेदक की ओर से श्री. अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिशनर/अपर कमिशनर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक ४५२/३/८८८/१६०८ में पारित आदेश दिनांक ।२.७.१८ के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक ।३.९.२०१८ प्रस्तुत की गयी है।
- म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।
- इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात् प्रकरण दा.द. हो।

सदस्य